भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3456

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

''एक्टिव'' के विरुद्ध शिकायतें

3456. श्रीमती पूनम महाजनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कम्पनी नियम-अनुपालन के भाग के रूप में, अब कम्पनियों को अपने किसी निदेशक के साथ अपने कार्यालय की फोटो सलंग्न करना अपेक्षित है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ''एक्टिव'' मानकों के अनुसार कितनी कम्पनियों ने अनुपालन दर्ज कराया है;
(ग) क्या सरकार को ''एक्टिव'' में संलिप्त प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी हां। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 21.02.2019 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2019 को प्रस्तुत किया है, नए नियमों के अधीन, दिनांक 31.12.2017 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत सभी कंपनियों द्वारा कंपनी अनुपालन के रूप में कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के साथ-साथ कंपनी के किसी एक निदेशक की फोटो संलग्न करते हुए ई-प्रपत्र एक्टिव-आईएनसी-22क दायर करना अपेक्षित है। इस ई-प्रपत्र को बिना शुल्क दायर करने की अंतिम तारीख 15.06.2019 थी और उसके पश्चात् अधिक दिनों तक विलंब होने के बावजूद 10,000/- रुपये के अतिरिक्त शुल्क के साथ ई-प्रपत्र दायर करना स्वीकार्य है। आज की तारीख तक "एक्टिव" के अनुसार अनुपालन दायर करने वाली कंपनियों की संख्या 6,95,671 है।

(ग) और (घ): पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति न होने के कारण एक्टिव आईएनसी-22क दायर करने की अक्षमता के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक प्रदत्त शेयर पूंजीधारी कंपनियों के पास पूर्णकालिक कंपनी सचिव होना अपेक्षित है।

*****